डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web: www.dfccil.gov.in

No. 2018/HQ/Admin/RTI-470

New Delhi: 02.11.2018

Shri Rambabu
S/o Sh. Ramnath
Village Naya Ka Purva
Post-Kishora
District-Kanpur Dehat
UP-209302
Mobile-7897742172

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 15.10.18 received on 17.10.18.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached as Annex "A".

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

DA: 01 Sheet

Copy to:

Chief Project Manager,
DFCCIL, 3/20, 3rd Floor,
KPS Tower, Mayur Complex,
Nagla Padi, Near Tulsi Cinema,
NH-02, Agra-282 002

For information & Record only

Annex-A

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)

Date- 26-10-18

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टुण्डला (आगरा)

विषय :— श्री रामबाबू पुत्र रामनाथ, ग्राम नया का. पुरूवा पो0 किशौरा जिला—कानपुर देहात द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— डिप्टी जी0एम0/एण्मीन/पी0आई0ओ0 का पत्रांक सं0 2018/ HQ/ADMIN/RTI-470 Dated 24.10.18

महोदय,

श्री रामबाबू पुत्र रामनाथ, ग्राम नया का पुरूवा पो0 किशौरा जिला—कानपुर देहात दिनांक 15.10.2018 पत्र डी0जी0एम0/एडमीन (पी0आई0ओ0) का पत्रांक सं0 2018/ HQ/ADMIN/RTI-470 दिनांक 24.10.18 संलग्नक के रूप में प्राप्त हुआ हैं। उक्त पत्र जो जनसूचनाअधिकारी/मुख्य जनसूचना अधिकारी, डी0एफ0सी0सी0 नई दिल्ली को सम्बोधित है, इस कार्यालय में, ई—मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ हैं, जिसमें जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत 05 प्रस्तरों पर सूचना मांगी गई हैं, जिसके सम्बन्ध में प्रस्तरवार आख्या निम्नलिखित हैः—

1. सक्षम अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की विशेष पूर्वी मालभाड़ा परियोजना हेतु भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अर्न्तगत नियमानुसार किया गया हैं। प्रतिकर का निर्धारण उक्त एक्ट की धारा 20एफ के अर्न्तगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हैं।

2. परियोजना हेतु जिला—इटावा, औरैया व कानपुर देहात के लिए भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अर्न्तगत नियमानुसार किया गया हैं। उक्त एक्ट में निर्धारित प्रकिया के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया हैं। जैसा कि प्रस्तर—1 की सूचना में भी स्पष्ट किया गया हैं।

3. मण्डलायुक्त आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा मध्यतावादों में पारित आदेशों के अनुरूप जिला मूल्यांकन सूची तथा जिला ग्रीवांस कमेटी के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अर्जित भूमि का पुनरीक्षित मूल्यांकन करते हुए मूल्य का निर्धारण किया जाता हैं। यह कार्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही प्रतिकर का भुगतान सुनिश्चित होता हैं।

4. सम्बन्धित जिले की जिला मूल्यांकन सूची में उल्लिखित व्यवस्थतानुसार ही अर्जित भूमि के पुनरीक्षित प्रतिकर का मूल्यांकन किया जाता हैं।

5. भूमि के दर के निर्धारण में डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के किसी भी एक अधिकारी की भूमिका नही होती हैं। विभिन्न स्तरों पर नियमों के अनुरूप प्रतिकर के मूल्यांकन का परीक्षण करते हुए डी0एफ0सी0सी0 मुख्यालय से अंतिम स्वीकृत प्राप्त कर प्रतिकर का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता हैं।

कृपया प्रस्तरवार वांछित सूचनाएं से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

26/X/2018

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल/कानपुर।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail — bsjaryal@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in